शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री अखिलेश पति त्रिपाठी

दिनांक : 07.06.2018

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 81

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. स.	प्रश्न	उत्तर
क	मॉडल टाउन विधान सभा में 9/7 शक्ति नगर दिल्ली–07 के एफ भवन निर्माण में क्या कोई नक्शा एमसीडी (नोर्थ) से पास करवाया गया था;	उत्तरी दिल्ली नगर निगम रिकॉर्ड के अनुसार 9/7 शक्ति नगर दिल्ली–07 का नक्शा भवन मुख्यालय उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा फाईल संख्या 02/एसपी/बी/एच क्यु/ एनडीएमसी/ 2014 दिनांक 17.02.2014 को पास हुआ है ।
ख	यदि नहीं, तो इस भवन का निर्माण किसकी अनुमति से किया गया;	उत्तरी दिल्ली नगर निगम उपरोक्त 'क' के अनुसार ।
ग	9/7 शक्तिनगर दिल्ली के मकान की समस्त ले आउट प्लान की कापी प्रदान करें,	उत्तरी दिल्ली नगर निगम बिल्डिंग प्लान स्वीकृति पत्र की प्रतिलिपि अनुलंग्न क पर संलग्न है ।
घ	9/7 शक्तिनगर दिल्ली–07 के अवैध निर्माण व भ्रष्टाचार में कौन – कौन से अधिकारी दोषी हैं; और	उत्तरी दिल्ली नगर निगम सितम्बर 2017 से अब तक सम्पत्ति संख्या 9/7 शक्तिनगर दिल्ली –07 में कोई भी शिकायत जांच पढताल के लिए संज्ञान में नहीं आई है ।
ड़	क्या 9/7 शक्तिनगर दिल्ली–07 के बिल्डिंग निर्माण का कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी किया गया है;	उत्तरी दिल्ली नगर निगम उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार सम्पत्ति संख्या 9/7 शक्ति नगर दिल्ली–07 के बिल्डिंग निर्माण का कोई कम्पलिशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है । परन्तु इस सम्पत्ति संख्या के भवन को 28.10.2016 में नियमित किया गया ।
च	यदि हाँ, तो उसकी समस्त कापी उपलब्ध करें?	उत्तरी दिल्ली नगर निगम उपरोक्त 'ड़' के अनुसार ।
छ	बिना नक्शे व कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के बने हुए भवन के खिलाफ उत्तरी एमसीडी द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और	उत्तरी दिल्ली नगर निगम उपरोक्त उत्तर 'क' एवं 'ड' के अनुसार ।
ज	इस संबंध में अब तक की सम्पूर्ण सूचना व पत्राचार की कापी दी जाए?	उत्तरी दिल्ली नगर निगम स्वीकृति पत्र दिनांक 17.09.2014 तथा नियमित पत्र दिनांक 28.10.2016 की प्रतिलिपि अनुलंग्नक 'ख' पर संलग्न है ।

2

Additional Condition of Sanction ... responsibility ... Architect ... Engineer(Bldg.) at the ... work ... of its roof ... each of the ... to building ... liable to be revoked.

मध्यु. प्रेस (सि. ला.)—जाब, 412—10,000—13—8—2010—www.mcdonline.gov.in

WARNING

Any deviation against sanctioned plan including creation of more number of dwelling units than sanctioned/permissible and change of user than sanctioned/permissible is a cognizable offence u/s D.M.C. (Amended) Act 1984 PUNISHABLE BY SIMPLE IMPRISONMENT WHICH MAY EXTEND TO 06 MONTHS OR WITH FINE WHICH MAY EXTEND TO Rs. 5000/- OR BOTH.

परिशिष्ट 'ङ'

प्रपत्र (उपविधि सं. 6.7.1)

02/SP/B/HQ/NDMC/2014 उत्तरी दिल्ली नगर निगम

34/AE-V

फाईल सं. (1) Sh. Moti Lal Patodia, (2) Sh. Durga Prasad Patodia, 17/9/14

सेवा में, &(3) Sh. Anil Kumar Patodia.

51, Banarshi Dass Estate,

Delhi-54.

भू-स्वामी को निगम भूमि/सड़क पर भवन सामग्री मलवा रखने की अनुमति नहीं है।

सहायक अभियंता (भवन)

विषय :—दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 336 के अन्तर्गत स्वीकृति।

प्रिय महोदय / महोदया,

Shakti Nagar, Delhi. में स्थित, ब्लाक संख्या Block No. 9

प्लाट संख्या 7 में भवन के निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्द्धन/परिवर्तन/आवेदन-पत्र में उल्लिखित विकास कार्यों को करने के बारे में आपके आवेदन-पत्र दिनांक 05.09.2014 के सन्दर्भ में मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि निम्नलिखित शर्तों में किए गए संशोधनों की शर्त पर दिल्ली विकास प्राधिकरण / दिल्ली नगर निगम द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है :— September 2019

1. वे नक्शे 16 दिन मास वर्ष तक देय होंगे।
2. निर्माण कार्य स्वीकृति नक्शे के अनुसार ही किया जायेगा तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपविधियों में किसी विचलन की अनुमति नहीं होगी। उपविधियों के विरुद्ध किया गया कोई भी विचलन गिराया जा सकता है तथा पर्यवेक्षण के लिए लगाये गये वास्तुकार का लाइसेंस रद्द किया सकता है।
3. भवन उपविधियों के उल्लंघन पर समझौता नहीं किया जायेगा।
4. भवन के स्वामी तथा नक्शे तैयार करने वाले वास्तुकार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि स्वीकृत नक्शे लागू भवन उपविधियों के अनुरूप हैं। यदि उपविधियों के किसी उल्लंघन का पता नहीं चलता है तो उसका पता चलने पर नक्शों में परिवर्तन करने का दि. न. नि. को अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में किसी भी दावे की दि. न. नि. द्वारा क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
5. उपविधियों के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पहले दिल्ली नगर निगम को एक लिखित सूचना दी जाएगी। निर्माण कार्य प्लिंथ लैवल तक पहुँचने पर भी एक ऐसी ही सूचना दिल्ली नगर निगम को दी जायेगी।
6. जब तक अधिकारी द्वारा अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता तब तक पार्टी भवन का अधिभोग नहीं करेगी अथवा अधिभोग करने की अनुमति नहीं देगी अथवा भवन अथवा उसके किसी ऐसे भाग का जिसमें कि निर्माण कार्य किया गया है, प्रयोग नहीं करेगी और न ही उसके प्रयोग की अनुमति देगी।
7. इन भवन नक्शों को दिल्ली नगर निगम द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के परिणामस्वरूप सभी खर्चों / घाटों / दावों जो दिल्ली नगर निगम करे अथवा करने के लिए उत्तरदायी हो, के लिए न्यायालयों की सभी कार्यवाहियों से तथा अन्य प्राधिकरणों के समक्ष दिल्ली नगर निगम किसी भी प्रकार की हानि अथवा क्षतिपूर्ति से मुक्त रहेगा।
8. दरवाजों और खिड़कियों के कपाट इस प्रकार लगाये जायेंगे कि वे खोले जाने पर किसी गली की ओर निकले हुए न रहें।
9. भवन का निर्माण भारतीय विद्युत नियमावली में निर्दिष्ट स्थल के साथ लगी वोल्टेज लाइनों से न्यूनतम दूरी के अन्दर नहीं किया जायेगा।
10. सैट बैक के नियमों के अनुसार खाली छोड़ी गई भूमि सार्वजनिक गली का भाग होगी।
11. यदि उपरोक्त सहायी शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो स्वीकृति प्रारम्भ से ही अवैध मानी जायेगी।

SANCTION UNDER SIMPLIFIED PROCEDURE

IN CASE OF ANY DISPUTE REGARDING THE OWNERSHIP TITLE OF THIS PROPERTY SANCTION ACCORDED TO THE PLANS WILL BE REVOCATED FOR MISREPRESENTATION UNDER SECTION 338

SANCTION ... THAT NO DISTURBANCE TO ... CARRY OUT WORK IN A M... THAT NO DISTURBANCE OR NUISANCE IS CAUSED TO RESIDENTS OF NEIGHBOURHOOD

The owner / builder will display a board with the details mentioned in the performa pasted on the back of the plans. The owner / builder shall accommodate the labourers etc. in neat looking prefabricated structures instead of temp. jhuggies including provision of toilet blocks on his own land. All such type of structures shall be of temp. nature and must be removed immediately / after the const. is completed. The C.C. shall be issued only after all structures are removed from site by the owner / builder. The applicant, while applying for B-1 form (at the stage of construction at plinth level), shall also submit a site plan indicating the location of shelter for labour within the plot and which shall also be ensured by the zonal building deptt. Not providing such details will amount to violation of condition of sanction and shall accordingly be communicated to the applicant through B-2 Form for necessary compliance.

भवदीय,

17/9

कृते आयुक्त
उत्तरी दिल्ली नगर निगम

संलग्न :—स्वीकृत नक्शे का एक सैट।

Copy to: E.E. (B)/ Civil Line Zone (2) AA&C(HQ)

17/9/14

Stzmarks 24

North Delhi Municipal Corporation
Office of the Ex. Engineer (Building)-II
Civil Line Zone, 16 Rajpur Road, Delhi-110054

No. 1841 EE(B)-II/CLZ/2016 Date 28-10-16

To,

Sh. Moti Lal Patodia,
Sh. Anil Kumar Patodia,
Sh. Durga Parsad Patodia,
P. No. 9/7, Shakti Nagar,
Delhi-110007

Subject:- Regularization of existing building on plot No. 9/7, Shakti Nagar, Delhi-110007

Sir,

This has reference to your application dated 11/08/2016 on the subject matter. I am directed to convey the approval accorded by competent authority for regularization of compoundable deviations in plot No. 9/7, Shakti Nagar, Delhi-110007 and regularization charges amount to Rs. 30000/- has been deposited vide G-8 No. 35777 dated 28/10/2016, subject to the following terms and conditions:-

1. Furnishing an Indemnity Bond to the effect that in case of any dispute, the North DMC will be kept harmless by the applicant.
2. No further FAR shall be claimed in future by the owner.
3. The owner/builder shall not be allowed to carryout further construction, addition/alteration etc except repairs and finishing of the existing structure as per regularization plan only.
4. The regularization of the existing structure shall become Null & Void ab-initio in the event of violation of the terms of regularization by the owner or in case of any dispute having arisen by way of litigation /court case being filed in the court of Law by any aggrieved person.
5. The owner shall file an affidavit to the effect that no court cases pending against North DMC.
6. The owners shall file an affidavit that the ownership documents submitted by her are true copies of their originals and that the regularization shall stand revoked in the event of any false statement detected at a later stage.

Asstt. Engineer(Bldg.)
Civil Lines Zone

Assistant Engineer (Bldg.)
... MC
Civil L...
16, R... Delhi-54

Scanned by CamScanner